न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 01/2020
दायर दिनांकः 22.01.2020
निर्णय दिनांक 24.02.2025

—: अनवान :—

डाउसिंह पिता पन्नासिंह, जाति रावत चौहान उम्र 65 साल, निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

—— प्रार्थी/निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भीम
2. लोकेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह रावत, निती बसस्टेण्ड भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

—— विपक्षीगण/गैर निगरांकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 06/2017 दिनांक 01.06.2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत नीम से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री अब्दुल हकीम चुडीघर अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01
3— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 06/2017 दिनांक 01.06.2017 को अपास्त कराने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम में बस स्टेण्ड सिनेमा हॉल के पास टाडगढ़ रोड पर आराजी नम्बर 16635/2312 में एक पट्टा विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। जिसके पड़ौस पूर्व में आम रास्ता, नाप 20 फीट, पश्चिम में निगराकार डाउसिंह का मकान, नाप 20 फीट, उत्तर में लक्ष्मणसिंह का मकान नाप 45 फीट व दक्षिण में रामसिंह का मकान नाप 45 फीट का जारी किया गया है। वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से जारी किया गया है। वह अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर निगराकार के भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है जो विधि के विपरीत हैं। निगराकार के भूखण्ड का पट्टा जो जारी किया गया है, उसे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। भूखण्ड पर कब्जा आधिपत्य निगराकार का है, ऐसी स्थिति में निगराकार की सम्पत्ति के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना विधि के विपरीत है। निगराकार के पक्ष में ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 29.09.1981 को उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जिसके तत्कालीन समय में पड़ौस निम्न प्रकार है– पूर्व : आम रास्ता, पश्चिम : कालुराम की खान, जहां वर्तमान में निगराकार द्वारा क्रयशुदा भूमि, उत्तर : दुर्गाराम की भूमि जिस पर वर्तमान में लक्ष्मणसिंह का मकान बना हुआ है, दक्षिण : डाउसिंह का मकान जिस पर निगराकार ने कब्जा प्राप्त किया है तब से इस पर कब्जा आधिपत्य निगराकार का चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त कब्जेशुदा एवं पट्टेशुदा भूखण्ड पर पट्टा ग्राम पंचायत को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा नियमों के विपरीत हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने फर्जीवाड़ा किया है। उक्त वर्णित पडौसों के मध्य का भूखण्ड निगराकार का है तथा विपक्षी संख्या 2 ने निगराकार के उक्त भूखण्ड को हड़पने के लिये ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा से यह पट्टा जारी करवाया है। विपक्षी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के सरपंच में मिलीभगत कर उक्त पट्टा फर्जी दस्तावेज तैयार करा जारी करवा दिया, जबकि उक्त भूखण्ड निगराकार के स्वामित्व आधिपत्य की सम्पत्ति है। जिसमें निगराकार ने दीवार बनाकर गेट रख रखा है तथा इसी भूखण्ड से होकर अपने मकान तक जाता है। चट्टान को गिराकर उक्त भूखण्ड को सही किया है। मौके पर आज भी चट्टान मौजूद है। इस प्रकार उक्त पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी रूप से पुरानी तारीख में ग्राम पंचायत से की गयी है। विपक्षी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर पट्टा जारी करवाया है जो प्रार्थी के कब्जे आधिपत्य का भूखण्डं है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत भीम से सन 1981 में दिनांक 20.09.1981 को पट्टा संख्या 243 के रूप में जारी करवाया है तब से प्रार्थी इस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करते समय नियन 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। उक्त भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 2 का कभी भी कब्जा आधिपत्य व हक अधिकार नहीं रहा है। भूखण्ड का पट्टा जारी करने के समय भी कब्जा आधिपत्य नहीं रहा था। पट्टा ही ग्राम पंचायत ने पुरानी तारीख में षड्यंत्रपूर्वक जारी किया है जिसकी

प्रमाणिकता उक्त दस्तावेज से ही होती है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा विलेख संख्या 06 दिनांक 01.06.2017 को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर अधिवक्ता श्री अब्दुल हकीम चुडीघर व अप्रार्थी संख्या 02 की ओर अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल ने उपस्थिति दी। ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता गैर निगराकार ने जवाब प्रस्तुत न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम में बस स्टेण्ड सिनेमा हॉल के पास टाडगढ़ रोड पर आराजी नम्बर 16635/2312 में एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। जिसके पड़ौस पूर्व में आम रास्ता, नाप 20 फीट, पश्चिम में निगराकार डाउसिंह का मकान, नाप 20 फीट, उत्तर में लक्ष्मणसिंह का मकान नाप 45 फीट व दक्षिण में रामसिंह का मकान नाप 45 फीट का जारी किया गया है। वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से जारी किया गया है। वह अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर निगराकार के भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है जो विधि के विपरीत हैं। निगराकार के भूखण्ड का पट्टा जो जारी किया गया है, उसे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। भूखण्ड पर कब्जा आधिपत्य निगराकार का है, ऐसी स्थिति में निगराकार की सम्पत्ति के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना विधि के विपरीत है। निगराकार के पक्ष में ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 20.09.1981 को पट्टा संख्या 243 के रूप में जारी करवाया है तब से प्रार्थी इस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करते समय नियन 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। उक्त भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 2 का कभी भी कब्जा आधिपत्य व हक अधिकार नहीं रहा है। भूखण्ड का पट्टा जारी करने के समय भी कब्जा आधिपत्य नहीं रहा था। पट्टा ही ग्राम पंचायत ने पुरानी तारीख में षड्यंत्रपूर्वक जारी किया है जिसकी प्रमाणिकता उक्त दस्तावेज से ही होती है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा विलेख संख्या 06 दिनांक 01.06.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज की जायें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 01.06.2017 को पट्टा जारी किया। विपक्षी संख्या 1 ने सभी नियमों का पालन कर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया है, उक्त पट्टा जारी होने की प्रक्रिया में किसी प्रकार त्रुटि नहीं हुई है, नियमानुसार समस्त प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया हैं। ऐसी स्थिति मे पट्टा कानुनन निरस्त नहीं हो सकता है। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा श्री लोकेन्द्र सिंह पिता श्री अर्जून सिंह के पक्ष में पट्टा संख्या 06 दिनांक 01.06.2017 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे में पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 01.06.2017 की पालना में उक्त पट्टा जारी करने का उल्लेख हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) मे यह प्रावधान विहित है कि **"जहां व्यक्ति आबादी भूमि मे पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक है उन्हे निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जा सकता है राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2010 व 01.01.2013 के अनुसार आबादी भूमि मे पुराने गृहो का पट्टा देने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना एवं पुराने गृह का विद्यमान होना आवश्यक है"** ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा संधारित आज्ञाओं की सूची मे दिनांक अंकित नही है ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रश्नगत पट्टे में ग्राम पंचायत की समस्त कार्यवाही जैसे कार्यावाही विवरण, आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का निरीक्षण प्रपत्र, निर्णय पत्र को एक ही दिन दिनांक 01.06.2017 में किया गया। प्रार्थी द्वारा पट्टे के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र स्टाम्प पर नहीं है, न ही नोटरी से सत्यापित करवाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित आज्ञाओं की सूची मे कहीं कहीं दिनांक भी अंकित नही है। पत्रावली में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड के 30 वर्ष/50 वर्ष पुराने गृह के निर्मित होने बाबत कोई साक्ष्य अंकित नही किये गये। ना ही स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण दिनांक का अंकन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध आपत्ति आव्हान पत्र में भूमि के विवरण के कॉलम मे क्षैत्रफल का कोई अंकन नहीं किया गया, न ही भूखण्ड के पडौस की अवस्थिति बताई गई। आपत्ति आव्हान पत्र कब जारी किया गया उसकी कोई दिनांक अंकित नहीं की गयी। और उसके चस्पादगी एवं किस माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया गया। इस बाबत भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी द्वारा पट्टा विलेख पंजीयन दस्तावेज दिनांक 04.10.2017 में भी आवासीय भूखण्ड का हवाला दिया गया है। इन दस्तावेजो से स्पष्ट है कि मौके पर आवासीय गृह निर्मित नहीं होकर खाली भूखण्ड है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 तक ग्राम पंचायत में स्थित आबादी भूमि के रिक्त भूखण्ड को विक्रय करने बाबत विस्तृत प्रावधान दिये गये है। उक्त प्रावधानो में विहित प्रक्रिया की पालना करने तथा नियम 152 मे नियत बाजार कीमत पर खुली निलामी द्वारा विक्रय किये जाने के प्रावधान है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का यह निर्ष्कष है कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहीत की गई प्रक्रिया की पालना नही की गई, विधिवत आपत्ति आमंत्रण करके ग्राम पंचायत की कोरम में इस बाबत निर्णय नही किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि तथाकथित पट्टा जारी करने में विधि अनुरूप प्रक्रिया की पालना नही की गई। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि अनुरूप नही होने से खारिज योग्य हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 श्री लोकेन्द्र सिंह पिता श्री अर्जून सिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 01.06.2017 को निरस्त किया जाता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से मूल पट्टा पत्रावली को निर्णय की प्रति के साथ नगरपालिका भीम को भिजवायी जावे।

24/2/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद